

# 1 अध्याय

## संघीय वित्तों का विहंगावलोकन

---



## अध्याय

### 1

# संघीय वित्तों का विहंगावलोकन

## 1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सम्मिलित होते हैं। संघ सरकार वित्त खाते (संघीय वित्त लेखे) भारत की समेकित निधि (सी एफ आई), आकस्मिक निधि तथा लोक खाते से प्राप्तियों एवं भुगतानों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे व्यय की तुलना संसद द्वारा प्राधिकृत राशियों से करते हैं तथा प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत दो निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के मध्य भिन्नता के लिए कार्यपालिका का स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 संघीय वित्तों का एक अवलोकन प्रदान करता है; अध्याय 2 में वित्त लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ<sup>1</sup> सम्मिलित हैं; तथा अध्याय 3 में लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ विनियोग लेखों का एक अवलोकन सम्मिलित है।

## 1.2 संघ सरकार के लेखों की संरचना

संघ सरकार के वित्तों को तीन भागों में रखा जाता है:

- अ. **भारत की समेकित निधि:** इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों, ऋणों अथवा अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यू एम ए) को जारी कर उस सरकार द्वारा एकत्र किए गए समस्त ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं जो भारत की समेकित निधि का हकदार होने के लिए एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं।
- ब. **भारत की आकस्मिकता निधि:** यह एक अग्रदाय की प्रकृति में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखी जाती है जो उन्हें संसद द्वारा प्राधिकरण के लंबित रहने तक, तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम देने हेतु सक्षम बनाती है।
- स. **लोक लेखे:** सरकार की सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त, जो समेकित निधि से संबंधित हैं, कुछ अन्य लेनदेन भी सरकारी लेखों के अंतर्गत रखे जाते हैं,

<sup>1</sup> इस रिपोर्ट में राशियों को पूर्णांकित किया गया है।

जिसके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमा आदि से संबंधित लेनदेन इसके कुछ उदाहरण हैं।

### 1.3 संघीय वित्तों की आशुचित्र

यह खंड बजट प्राप्तियों और संवितरण (दोनों पर बजट अनुमानों, (बी ई स्तर) एवं संशोधित अनुमानों, (आर ई स्तर) के साथ वित्त वर्ष 20 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय को दर्शाता है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए नियोजित और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया है। यह विवरण तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1: संघीय वित्तों की आशुचित्र (वित्त वर्ष 20)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	बजट अनुमान (बी ई) <sup>अ</sup>	संशोधित अनुमान (आर ई) <sup>अ</sup>	वास्तविक	बी ई से वास्तविक की भिन्नता (प्रतिशत) <sup>आ</sup>	आर ई से वास्तविक की भिन्नता (प्रतिशत) <sup>आ</sup>
1	राजस्व प्राप्तियां	22,48,038	21,53,427	19,48,083	-2,99,955 (-13.34)	-2,05,344 (-9.54)
	कर राजस्व <sup>ब</sup>	16,52,062	15,07,377	13,59,382	-2,92,680 (-17.72)	-1,47,995 (-9.82)
	गैर-कर राजस्व <sup>ब</sup>	5,95,976	6,46,050	5,88,701	-7,275 (-1.22)	-57,349 (-8.88)
2	विविध पूंजीगत प्राप्तियां <sup>क</sup>	1,05,000	65,045	50,349	-54,651 (-52.05)	-14,696 (-22.59)
3	ऋण व अग्रिमों की वसूली	66,203	54,279	18,647	-47,556 (-71.83)	-35,632 (-65.65)
4	कुल गैर ऋण प्राप्तियां (1+2+3)	24,19,241	22,72,751	20,17,079	-4,02,162 (-16.62)	-2,55,672 (-11.25)
5	लोक ऋण की प्राप्ति	66,70,617	71,91,850	73,01,387	6,30,770 (9.46)	1,09,537 (1.52)
6	सी एफ आई में कुल प्राप्तियां (4+5)	90,89,858	94,64,601	93,18,466	2,28,608 (2.51)	-1,46,135 (-1.54)
7	लोक लेखे प्राप्तियां <sup>क</sup>	16,43,054	18,44,762	20,27,744	3,84,690 (23.41)	1,82,982 (9.92)
8	कुल प्राप्तियां (6+7)	1,07,32,912	1,13,09,363	1,13,46,210	6,13,298 (5.71)	36,847 (0.33)
9	आकस्मिकता निधि	0	0	0	0	0
10	राजस्व व्यय	27,33,541	26,53,765	26,15,320	-1,18,221 (-4.32)	-38,445 (-1.45)
11	पूंजीगत व्यय	3,81,432	3,98,432	3,87,744	6,312 (1.65)	-10,688 (-2.68)
12	ऋण एवं अग्रिम	91,424	82,679	45,141	-46,283 (-50.62)	-37,538 (-45.40)
13	कुल व्यय (10+11+12)	32,06,397	31,34,876	30,48,205	-1,58,192 (-4.93)	-86,671 (-2.76)

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

14	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	59,83,187	63,46,389	63,26,549	3,43,362 (5.74)	-19,840 (-0.31)
15	सी एफ आई से कुल वितरण (13+14)	91,89,584	94,81,265	93,74,754	1,85,170 (2.01)	-1,06,511 (-1.12)
16	लोक लेखे संवितरण <sup>३</sup>	15,94,386	18,28,099	20,05,420	4,11,034 (25.78)	1,77,321 (9.70)
17	कुल संवितरण (15+16)	1,07,83,970	1,13,09,364	1,13,80,174	5,96,204 (5.53)	7,08,10 (0.63)
18	राजस्व घाटा (10-1)	4,85,503	5,00,338	6,67,237	1,81,734 (37.43)	1,66,899 (33.36)
19	राजकोषीय घाटा <sup>४</sup> (13-4)	7,87,156	8,62,125	10,31,126	2,43,970 (30.99)	1,69,001 (19.60)

अ. बी ई व संशोधित अनुमान आंकड़े वार्षिक वित्तीय विवरण (2020-21) से लिए गए हैं

आ. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत भिन्नता दर्शाते हैं।

इ. संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों को सौंपी गयी आय ₹8,09,133.02 करोड़ (बजट अनुमान), ₹6,56,046.07 करोड़ (संशोधित अनुमान) एवं ₹6,50,677.05 करोड़ (वास्तविक) पर कर सम्मिलित नहीं हैं।

ई. सहायता अनुदान एवं योगदान सम्मिलित हैं।

उ. बोनस शेयर (नगद निरपेक्ष) का मूल्य: ₹44.96 करोड़; सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में इक्विटी होल्डिंग्स का विनिवेश: ₹9009.81 करोड़; सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में इक्विटी होल्डिंग्स के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम: ₹39224.65 करोड़; एवं अन्य प्राप्तियां: ₹2,069.86 करोड़ - एसयूटीआई आदि का विक्रय सम्मिलित है

ऊ. उचत एवं विविध शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि सम्मिलित नहीं है

ॠ. बजट (2021-22) के सार के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹9,33,651 करोड़ है। तथापि, वित्त लेखों के अनुसार, राजकोषीय घाटा ₹10,31,126 करोड़ है। ₹97,475 करोड़ का शुद्ध अंतर राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता की प्राप्तियों (₹20,607 करोड़), पूंजी डालने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹65,443 करोड़), एशियाई विकास बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियां (₹540 करोड़), सरकारी कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली (₹121 करोड़), आई आई एफ सी एल को इक्विटी समर्थन के लिए जारी किये गए बांड (₹5,298 करोड़), जारी किये गए बोनस शेयर (₹45 करोड़), एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम (₹ 550 करोड़), आई डी बी आई बैंक लिमिटेड को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹4,557 करोड़) तथा ₹314 करोड़ के अनसुलझे अंतर को सम्मिलित न करने के कारण है।

स्रोत: वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 21

### राजस्व प्राप्तियां

यद्यपि केंद्र सरकार ने बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों के स्तर पर राजस्व प्राप्तियों में काफी कमी की परिकल्पना की थी, वास्तविक राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान की तुलना में कम (₹2,05,344 करोड़) थीं।

कर राजस्व के प्रकरण में, यद्यपि बजट अनुमान संशोधित अनुमान से कम था (₹1,44,685 करोड़), वास्तविक संशोधित अनुमान से और कम रहे (₹1,47,995 करोड़)। यह मुख्य रूप से 'निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर' (₹66,652 करोड़); निगम कर (₹53,624

करोड़); केंद्रीय माल एवं सेवा कर (₹19,929 करोड़) के प्रकरण में संग्रह<sup>2</sup> संशोधित अनुमान से कम होने के कारण था।

गैर-कर राजस्व (एन टी आर) के लिए, ब्याज प्राप्तियों, लाभांशों और लाभों (₹58,874 करोड़) के अनुमानों में तेज वृद्धि के कारण संशोधित अनुमान, बजट अनुमान से अधिक था, यद्यपि "अन्य गैर-कर राजस्व" के अनुमान (₹9,046 करोड़) बजट अनुमान की तुलना में कम हो गए थे। तथापि, वास्तविक, बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान दोनों से कम थे। संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक में कमी, "लाभांश एवं लाभ" (₹13,760 करोड़), "भारतीय रेलवे - राजस्व प्राप्तियां - वाणिज्यिक लाइनें" (₹31,476 करोड़), "सड़कें व पुल" (₹11,194 करोड़) एवं डाक प्राप्तियों (₹5,645 करोड़) के प्रकरण में महत्वपूर्ण थी। यद्यपि, वास्तविक कुछ शीर्षों जैसे "ब्याज प्राप्तियां" (₹12,861 करोड़) एवं "अन्य संचार सेवाएं" (₹10,856 करोड़) के अंतर्गत अनुमानों से अधिक थे, जो आंशिक रूप से अन्य शीर्षों के अंतर्गत कमी की भरपाई करते हैं। इस प्रकार एन टी आर के प्रकरण में कुल कमी ₹57,349 करोड़ थी।

### पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां एवं ऋण प्राप्तियां दोनों सम्मिलित हैं। गैर-ऋण प्राप्तियां विविध पूंजीगत प्राप्तियां तथा "ऋण एवं अग्रिम की वसूली" को समाहित करती हैं।

विविध पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से विनिवेश से प्राप्त आय तथा "राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय" सम्मिलित हैं। संशोधित अनुमान स्तर पर अनुमानों में पर्याप्त कमी आयी थी (₹39,955 करोड़)। यद्यपि, वास्तविक प्राप्तियाँ और कम थीं (₹14,696 करोड़)। यह मुख्य रूप से बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान के ₹ 10,000 करोड़ के विरुद्ध "राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से आय" के अंतर्गत "शून्य" संग्रह के कारण था।

"ऋण और अग्रिम की वसूली" के प्रकरण में, अनुमानों को संशोधित अनुमान स्तर (₹11,924 करोड़) पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों, आदि से लघुतर प्रत्याशित वसूली के कारण कम किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सांविधिक निकायों से ऋणों एवं अग्रिमों की कम वसूली के कारण वास्तविक वसूली अभी भी कम

<sup>2</sup> ये सकल संग्रह हैं क्योंकि बजट प्रपत्रों में प्रत्येक कर के लिए शुद्ध संग्रह हेतु बजट अनुमान/संशोधित अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(₹35,632 करोड़) थी। ये भिन्नताएँ मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को बजट अनुमान में प्रदान किए गए डब्ल्यू एम ए स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण थीं। चूंकि स्वयं अग्रिम का संवितरण नहीं किया गया था, इस कारण से वसूली भी नहीं हो सकी जिसके कारण कमी हुई।

कुल मिलाकर, सी एफ आई में वास्तविक गैर-ऋण प्राप्तियां संशोधित अनुमान से ₹2,55,672 करोड़ तथा बजट अनुमान से ₹4,02,162 करोड़ कम रही।

### राजस्व व्यय

राजस्व व्यय का अनुमान संशोधित अनुमान स्तर (₹79,776 करोड़) पर घटाया गया था। जिन शीर्षों के अंतर्गत अनुमानों को पर्याप्त रूप से कम किया गया उनमें ब्याज भुगतान (₹12,851 करोड़), फसल पालन (₹21,594 करोड़), खाद्य सब्सिडी (₹77,012 करोड़)<sup>3</sup> तथा भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनें (₹5,551 करोड़), एवं राज्य सरकार को सहायता अनुदान (जी आई ए) (₹10,653 करोड़) सम्मिलित हैं। यह "पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ" (₹9,848 करोड़), प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (₹9,995 करोड़), ग्रामीण रोजगार (₹11,002 करोड़) तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जी आई ए (₹18,466 करोड़)<sup>4</sup> के अंतर्गत संशोधित अनुमान स्तर पर अनुमानों में वृद्धि से आंशिक रूप से कम हो गया था। वास्तविक, यद्यपि, संशोधित अनुमान (₹38,445 करोड़) से और नीचे थे।

वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के मध्य अंतर के विश्लेषण ने दर्शाया कि 36 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक राजस्व व्यय संशोधित अनुमान से ₹65,920 करोड़ अधिक था। यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से जी आई ए के अंतर्गत राज्य सरकारों (₹48,017 करोड़) को अतिरिक्त धनराशि लेखांकित किये जाने के कारण था, जिसमें एकीकृत माल और सेवा कर (आई जी एस टी) के कम हस्तांतरण के समायोजन के माध्यम से जी एस टी मुआवजा उपकर कोष में सी एफ आई से ₹32,710 करोड़ का अतिरिक्त हस्तांतरण सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, वास्तविक ब्याज भुगतान एवं "अन्य संचार सेवाओं" (₹5,037 करोड़) के प्रकरण में संशोधित अनुमान से अधिक हो गया। 68 प्रमुख शीर्षों<sup>5</sup> के प्रकरण में, वास्तविक राजस्व व्यय संशोधित अनुमान से ₹60,243 करोड़ कम रहा।

<sup>3</sup> इसके स्थान में एन एस एस एफ से ₹63,600 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया।

<sup>4</sup> लद्दाख के नये संघ राज्य क्षेत्र के लिये।

<sup>5</sup> ₹44,272 करोड़ के प्रावधान के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित एमएच 2552 को छोड़कर, जो केवल एक पास-थ्रू शीर्ष है, अथवा संबंधित कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत व्यय के साथ बजट प्रावधान है।

भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइनों के संचालन व्यय (₹28,639 करोड़), ब्याज भुगतान (₹8,740 करोड़) तथा सामान्य शिक्षा (₹4,764 करोड़) में महत्वपूर्ण कमी देखी गयी।

### पूँजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण

पूँजीगत व्यय के लिए संशोधित अनुमान, "रक्षा" (₹7,000 करोड़), "उद्योग व खनिज" (₹5,658 करोड़) तथा "सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश" (₹4,848 करोड़) के अनुमानों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹17,000 करोड़ के बजट अनुमान से अधिक था। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए शीर्ष के अंतर्गत बचत को छोड़कर, वास्तविक एवं संशोधित अनुमान (₹ 2,784 करोड़) के बीच अंतर मामूली था।

ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण के प्रकरण में, अनुमानों को संशोधित अनुमान के स्तर पर ₹8,745 करोड़ कम किया गया था। अंततः, वास्तविक संवितरण संशोधित अनुमान से ₹37,538 करोड़ की राशि से कम था। इसका कारण यह था कि एफ सी आई को डब्ल्यू एम ए के प्रावधान हेतु पहले संशोधित अनुमान स्तर में ₹14,000 करोड़ से कम किया गया था लेकिन अंत में एफ सी आई को कोई डब्ल्यू एम ए प्रदान नहीं किया गया था। इसी तरह, ₹1,000 करोड़ के "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण" का प्रावधान भी पूरी तरह से अप्रयुक्त था।

### राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा

वास्तविक राजस्व घाटा बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान से क्रमशः 37.43 प्रतिशत एवं 33.36 प्रतिशत से अधिक हो गया। यह बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की तुलना में कर व गैर-कर राजस्व प्राप्तियों दोनों के वास्तविक में कमी के कारण था। यद्यपि बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व व्यय में कुछ कमी प्राप्त की गई थी लेकिन वह राजस्व प्राप्तियों में कमी के अनुरूप नहीं थी।

इसी प्रकार, वास्तविक राजकोषीय घाटा भी जो बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान दोनों स्तरों पर अनुमानित अनुमान से अधिक था, क्रमशः ₹2,43,970 करोड़ तथा ₹1,69,001 करोड़ से अधिक था। यह वास्तविक विविध पूँजी प्राप्तियों में कमी के कारण था जबकि पूँजीगत व्यय को कम करने की गुंजाइश सीमित थी।



## अतिरिक्त लोक ऋण

बजट अनुमान के स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त लोक ऋण ₹6,87,430 करोड़ था। संशोधित अनुमान स्तर पर इसे बढ़ाकर ₹8,45,461 करोड़ करने का अनुमान लगाया गया था। अनुबंधित वास्तविक अतिरिक्त लोक ऋण यद्यपि बहुत अधिक ₹9,74,838 करोड़ था। यह, कुल मिलाकर, राजस्व घाटे एवं वास्तविक के अनुमानों में भिन्नता को दर्शाता है।


### 1.4 संसाधन: निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्ष के दौरान, संघ सरकार ने ₹1,21,07,987 करोड़ के कुल संसाधन जुटाए, जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों<sup>6</sup> के लिए किया गया था।

#### 1.4.1 निधियों के स्रोत

आकृति 1.1: निधियों के स्रोत

(₹ करोड़ में)




स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

धन के स्रोतों का पुनः विवरण इस प्रकार है:

<sup>6</sup> इस खंड में उपयोग किए गए आंकड़े सकल आंकड़े हैं, जो तालिका 1.1 के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं, जो शुद्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।

आकृति 1.2: निधियों के स्रोतों का विवरण



स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे


कर राजस्व (₹20,10,059 करोड़), गैर-कर राजस्व (₹5,88,328 करोड़) तथा बाह्य सहायता (₹373 करोड़) से युक्त सकल राजस्व प्राप्ति ने संसाधनों का 21 प्रतिशत योगदान दिया। कर राजस्व के अंतर्गत, प्रत्यक्ष कर ₹10,49,549 करोड़ (52 प्रतिशत) एवं अप्रत्यक्ष कर ₹9,60,510 करोड़ (48 प्रतिशत) था। गैर-कर राजस्व प्राप्ति में रेलवे राजस्व (₹1,74,695 करोड़), लाभांश (₹1,86,142 करोड़), संचार प्राप्ति (₹83,404 करोड़) तथा विविध सामान्य प्राप्ति (₹21,238 करोड़) सम्मिलित हैं।

पूंजीगत प्राप्ति के दो घटक होते हैं। प्रथम है ऋण प्राप्ति (₹73,01,387 करोड़) जो भविष्य के भुगतान दायित्वों का निर्माण करती है तथा वर्ष की कुल सकल प्राप्ति का 60 प्रतिशत योगदान करती है। द्वितीय गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति है जिसमें विविध पूंजी प्राप्ति (₹50,349 करोड़) एवं ऋण तथा अग्रिम की वसूली (₹18,647 करोड़) सम्मिलित हैं। पूर्व में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय सम्मिलित थी। दूसरे घटक से प्राप्त आय कुल सकल प्राप्ति के एक प्रतिशत (0.57 प्रतिशत) से कम थी तथा वास्तविक या संभावित परिसंपत्ति आधार में कमी का प्रतिनिधित्व करती थी।

सार्वजनिक लेखा प्राप्ति का कुल संसाधन जुटाने में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

### 1.4.2 निधियों का अनुप्रयोग

आकृति 1.3: निधियों का अनुप्रयोग




स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

निधियों के अनुप्रयोग का पुनः विवरण इस प्रकार है:

आकृति 1.4: निधियों के अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

वर्ष के दौरान जुटाए गए कुल संसाधनों में से 83 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर लगाया गया, जिसमें ऋण की अदायगी (52 प्रतिशत), लोक लेखे देदारियों का निर्वहन (17 प्रतिशत), ब्याज भुगतान (पांच प्रतिशत) तथा राज्यों को सकल कर प्राप्तियों का अनिवार्य भाग (पांच प्रतिशत) है। शेष राशि से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान एवं नकद शेष (चार


प्रतिशत) के लिए लेखांकन करने के पश्चात्, सरकार के पास स्वयं की गतिविधियों पर व्यय करने के लिए अपने सकल संग्रहण का 17 प्रतिशत बचा था।

### 1.5 सी एफ आई की प्राप्तियां एवं संवितरण

वित्त वर्ष 20 के लिए भारत की समेकित निधि (सी एफ आई) में प्राप्तियां एवं संवितरण तथा पिछले चार वर्षों में विकास दर आकृति 1.5 व 1.6 में दी गई है।

आकृति 1.5: प्राप्तियां तथा संवितरण - सी एफ आई (वित्त वर्ष 20)

(₹ करोड़ में)




\* कर राजस्व से राज्यों को दी गई आय को छोड़कर निवल आंकड़े

स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

आकृति 1.6: प्राप्तियों एवं संवितरण की वृद्धि दर - सी एफ आई

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त वर्षों 17 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

वित्त वर्ष 20 में वर्ष-दर-वर्ष कुल प्राप्तियों में 7.23 प्रतिशत (₹6,28,286 करोड़) की वृद्धि हुई। गैर-ऋण प्राप्तियों में 4.42 प्रतिशत (₹85,381 करोड़) की वृद्धि हुई तथा ऋण प्राप्तियों में 8.03 प्रतिशत (₹5,42,905 करोड़) की वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि निम्नलिखित प्रकरणों में महत्वपूर्ण थी:

- i. सीजी एस टी से ₹39,860 करोड़ (14.79 प्रतिशत) तथा निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर करों में ₹40,061 करोड़ (15 प्रतिशत) से आई प्राप्तियों से प्रमुख वृद्धियों के साथ, कर राजस्व में मामूली वृद्धि ₹40,371 करोड़ (तीन प्रतिशत) हुई। यह निगम कर (₹ 63,707 करोड़) के अंतर्गत संग्रह में कमी से समायोजित हो गयी थी।
- ii. गैर-कर राजस्व में ₹1,01,940 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें से लाभांशों/लाभों से प्राप्तियां से ₹72,715 करोड़ (64 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियों से ₹29,798 करोड़ (110 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा 'अन्य संचार सेवाओं से ₹29,031 करोड़ (71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लाभांशों/लाभों के अंतर्गत उच्च प्राप्तियां मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष/लाभांश की उच्च प्राप्तियों के कारण थीं।
- iii. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां वित्त वर्ष 19 की तुलना में ₹56,240 करोड़ कम थीं। कमी के कारणों में विनिवेशित इक्विटी (₹28,946 करोड़) के अंकित मूल्य पर 42 प्रतिशत कम प्राप्त प्रीमियम सम्मिलित है। कुल विनिवेश पर प्रीमियम वित्त वर्ष 19 में 94 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 20 में 81 प्रतिशत हो गया। यह मुख्य रूप से वित्त वर्ष 20 में वित्त वर्ष 19 की तुलना में एसयूटीआई<sup>7</sup> प्राप्तियों के ₹10,356 करोड़ (83 प्रतिशत) कम होने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से आय की प्राप्ति न होने के कारण था।

पूर्व वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 20 में राजस्व व्यय में ₹3,53,749 करोड़ (15.64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का अधिकांश भाग "सहायता अनुदान व योगदान" (₹1,48,020 करोड़, 38.68 प्रतिशत) और "सामाजिक सेवाओं" (₹28,355 करोड़, 26.40 प्रतिशत) पर अधिक व्यय के कारण था। "सामान्य सेवाओं" तथा "आर्थिक सेवाओं" पर व्यय में वृद्धि

<sup>7</sup> एसयूटीआई - स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

क्रमशः ₹1,10,483 करोड़ (10.03 प्रतिशत) एवं ₹66,891 करोड़ (9.99 प्रतिशत) थी। इसके अतिरिक्त, "सहायता अनुदान व योगदान" में वृद्धि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जी एस टी के कार्यान्वयन (₹47,699 करोड़; ₹3,524 करोड़) से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए भुगतान की गयी उच्च क्षतिपूर्ति तथा स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए अनुदानों (₹24,297 करोड़) के कारण थी।

सामान्य सेवाओं पर व्यय के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ₹54,350 करोड़ की सबसे बड़ी वृद्धि ब्याज भुगतानों पर थी। अन्य महत्वपूर्ण वृद्धियां पेंशन व विविध (₹26,968 करोड़), रक्षा सेवाओं (₹11,414 करोड़) तथा पुलिस (₹9,555 करोड़) पर थीं। आर्थिक सेवाओं में, सबसे बड़ी वृद्धि फसल पालन में - मुख्य रूप से पीएम किसान सम्मान निधि (₹48,714 करोड़) तथा पेट्रोलियम (₹14,086 करोड़) के अंतर्गत देखी गई।

दूसरी ओर, पूंजीगत खाते पर व्यय ₹11,779 करोड़ (2.95 प्रतिशत) घट गया, जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण पर व्यय में कमी है।

### 1.6 संघ सरकार की संपत्तियां एवं देनदारियां

केंद्र सरकार की संपत्तियों एवं देनदारियों की स्थिति का अवलोकन तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: संघ सरकार की संपत्तियां एवं देनदारियां

(₹ करोड़ में)

संपत्तियां	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	वृद्धि दर
सकलपूँजी परिव्यय - कंपनियों, सहकारी समितियों आदि के शेयरों में निवेश	9,89,546	11,28,168	14.01%
अन्य पूंजीगत व्यय	19,16,969	21,59,706	12.66%
सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों, स्थानीय निधियों, कृषक आदि को ऋण	1,25,546	1,43,247	14.10%
राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को ऋण	1,71,531	1,80,814	5.41%
विदेशी सरकारों को ऋण	13,558	14,228	4.94%
सरकारी सेवकों को ऋण एवं अग्रिम	159	183	15.09%
उच्चत एवं विविध शेष	42,262	73,649	74.27%
प्रेषण शेष (निवल)	14,058	16,810	19.58%
नकद शेष निवेश	1,22,692	50,573	-58.78%

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

सामान्य नकद शेष	2,729	-2,241	-182.12%
विभागीय कार्यालयों के पास नकद	8,654	17,279	99.66%
स्थायी नकद अग्रदाय	100	106	6.00%
समेकित घाटा (तुलन संख्या)	48,17,592	54,09,166	12.28%
<b>कुल</b>	<b>82,25,396</b>	<b>91,91,688</b>	<b>11.75%</b>

देनदारियां	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	वृद्धि दर
आंतरिक ऋण	70,74,941	80,20,490	13.36%
बाह्य ऋण	2,69,961	2,99,250	10.85%
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	5,79,609	5,74,880	-0.82%
आकस्मिकता निधि	500	500	0.00%
आरक्षित निधि (ब्याज रहित)	13,084	50,294	284.39%
आरक्षित निधि (ब्याज सहित)	13,007	13,792 ( ङे.)	-206.04%
जमा व अग्रिम	2,74,294	2,60,066	-5.19%
<b>कुल</b>	<b>82,25,396</b>	<b>91,91,688</b>	<b>11.75%</b>

स्रोत: वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

संपत्तियों के पक्ष में विगत दो वर्षों के दौरान यह द्रष्टिगत हुआ कि संचयी पूंजीगत व्यय के 34 प्रतिशत में संघ सरकार का सरकारी कंपनियों, संविधिक निगमों एवं अन्य संयुक्त पूँजी कंपनियों में निवेश निहित है। शेष 66 प्रतिशत ने परिवहन क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोकनिर्माण कार्यों आदि के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए संचयी व्यय का गठन किया।

वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹1,38,622 करोड़ के “सकल पूंजीगत परिव्यय - निवेश” के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों के “पुनर्पूँजीकरण” (₹65,433 करोड़), एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (₹31,333 करोड़), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (₹8,900 करोड़) तथा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (₹5,798 करोड़) में निवेश के कारण था।



इसी प्रकार, रक्षा सेवाओं (₹1,11,092 करोड़), सामान्य आर्थिक सेवाओं (₹81,116 करोड़), परिवहन (₹71,640 करोड़), रेलवे (₹67,842 करोड़) आदि पर पूंजीगत व्यय के कारण वित्त वर्ष 20 के दौरान 'अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत ₹2,42,737 करोड़<sup>8</sup> की अभिवृद्धि हुई।

यद्यपि, संपत्ति पक्ष में संघ सरकार के नकद शेष निवेश में उल्लेखनीय कमी भी पायी गयी थी। यह मद अस्थायी निवेश से जुड़े लेनदेन का लेखाजोखा रखती है। यह गिरावट वित्त वर्ष 20 में ₹72,119 करोड़ की सीमा तक थी तथा निवेश हेतु आरबीआई के पास उपलब्ध संघ सरकार के नकद शेष में कमी का प्रतिनिधित्व करती थी।

इसके अतिरिक्त, देनदारियों के पक्ष में, आंतरिक ऋण वित्त वर्ष 20 में संघ सरकार की कुल देयता का लगभग 87 प्रतिशत का था। संघ सरकार का आंतरिक ऋण वित्त वर्ष 19 में ₹70,74,941 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में ₹80,20,490 करोड़ हो गया। आरक्षित निधि के प्रकरण में, शेष राशि वित्त वर्ष 19 में ₹26,091 से बढ़कर ₹36,502 करोड़ हो गयी। यह वृद्धि मुख्य रूप से जी एस टी प्रतिपूर्ति निधि के अंतर्गत शेष राशि में ₹33,412 करोड़, केंद्रीय सड़क निधि में ₹ 2,262 करोड़ तथा राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष में ₹1,203 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। जी एस टी प्रतिपूर्ति निधि में वृद्धि वर्ष के दौरान राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को आई जी एस टी के अल्प भुगतान के आंशिक समायोजन का परिणाम थी।

### 1.7 संसाधन निर्माण

प्राप्तियों की दो धाराएं राजस्व एवं पूँजी हैं जो संघ सरकार के संसाधनों का गठन करती हैं। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा वाह्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान राशि सम्मिलित है। पूँजी प्राप्तियों के दो घटक हैं - ऋण प्राप्तियाँ, जो भविष्य के ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों का निर्माण करती हैं तथा गैर-ऋण प्राप्तियों, जो विनिवेश एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूली से प्राप्त आय का गठन करती हैं जिससे वास्तविक या संभावित परिसंपत्ति आधार में कमी आती है।

<sup>8</sup> अन्य पूंजीगत व्यय: कुल पूंजीगत व्यय- सीपीसीई में इक्विटी निवेश. अतः सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वृद्धि विनिवेश आकड़ों से समायोजित हो जाती है।

तालिका 1.3: वर्ष 2015-20 के मध्य संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	सकल ऋण प्राप्तियां	लोक लेखों में सकल प्रोद्गवन	सकल प्राप्तियां (1+2+3 +4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त वर्ष 16	19,42,353 (26)	84,010 (1)	43,16,950 (58)	11,16,692 (15)	74,60,005
वित्त वर्ष 17	22,23,988 (23)	88,714 (1)	61,34,137 (63)	12,73,949 (13)	97,20,788
वित्त वर्ष 18	23,64,148 (22)	1,70,687 (2)	65,54,002 (62)	14,34,393 (14)	1,05,23,230
वित्त वर्ष 19	25,67,917 (23)	1,25,236 (1)	67,58,482 (60)	17,45,217 (16)	1,11,96,852
वित्त वर्ष 20	25,98,760 (21.47)	68,996 (0.57)	73,01,387 (60.32)	21,36,115 (17.64)	1,21,05,258

\* राज्यों को सौंपे गए कर एवं शुल्कों (चालू वर्ष हेतु ₹6,50,677 करोड़) के आंकड़े सम्मिलित हैं। चालू वर्ष में केंद्र को शुद्ध राजस्व प्राप्तियाँ ₹19,48,083 करोड़ थीं, जैसा कि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल प्राप्तियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: वित्त वर्ष 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.3 से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 के मध्य सकल प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी जिसमें वित्त वर्ष 17 में अधिकतम 30 प्रतिशत वृद्धि देखी गयी। सकल राजस्व प्राप्तियों ने वित्त वर्ष 16 में 17 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि तथा वित्त वर्ष 20 में एक प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि प्राप्त की। विगत दो वित्तीय वर्षों में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में गिरावट देखी गयी।

वित्त वर्ष 16 (58 प्रतिशत) के अतिरिक्त सकल ऋण प्राप्तियों का सकल प्राप्तियों से अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक रहा, जो केंद्रीय बजट को वित्तपोषित करने के लिए ऋण पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

### 1.7.1 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें कर तथा गैर-कर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, वित्तीय संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि यह भविष्य के भुगतान दायित्वों का निर्माण नहीं करती हैं। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की चर्चा अनुवर्ती अनुभागों में की गयी है:

#### 1.7.1.1 राजस्व प्राप्तियाँ: सकल व निवल

तालिका 1.4 संघ सरकार के वित्त का सकल एवं निवल दोनों के सम्बन्ध में अवलोकन प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	राज्यों का अंश*	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व#	निवल राजस्व प्राप्तियां	सकल राजस्व प्राप्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(2)+(5)
वित्त वर्ष 16	14,55,891	5,06,193	9,49,698	4,86,462	14,36,160	19,42,353
वित्त वर्ष 17	17,15,968	6,08,000	11,07,968	5,08,020	16,15,988	22,23,988
वित्त वर्ष 18	19,19,183	6,73,005	12,46,178	4,44,965	16,91,143	23,64,148
वित्त वर्ष 19	20,80,465	7,61,454	13,19,011	4,87,451	18,06,462	25,67,916
वित्त वर्ष 20	20,10,059	6,50,677	13,59,382	5,88,701	19,48,083	25,98,760
<b>विकास की वार्षिक दर (प्रतिशत)</b>						
वित्त वर्ष 16	16.93	49.85	4.67	15.39	8.07	16.54
वित्त वर्ष 17	17.86	20.11	16.67	4.43	12.52	14.50
वित्त वर्ष 18	11.84	10.69	12.47	-12.41	4.65	6.30
वित्त वर्ष 19	8.40	13.14	5.84	9.55	6.82	8.62
वित्त वर्ष 20	-3.38	-14.55	3.06	20.77	7.84	1.20

#सहायता अनुदान एवं वाह्य एजेंसियों से योगदान सम्मिलित है।

\*केंद्रीय कर राजस्व में हिस्सेदारी के रूप में राज्यों को हस्तांतरण, जैसा की संघ सरकार के वित्त खातो में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 279 (1) के अंतर्गत अंतिम निर्धारण एवं प्रमाणीकरण के अधीन है।

स्रोत: वित्त वर्ष 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.4 से दृष्टिगत है, सकल कर राजस्व में वृद्धि दर वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 19 तक घटती प्रवृत्ति दर्शा रही है, जबकि वित्त वर्ष 20 में वृद्धि नकारात्मक रही है। राज्यों की हिस्सेदारी के सम्बन्ध में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा करों के विभाज्य पूल के अंतरण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किये जाने के कारण वित्त वर्ष 16 में अधिकतम वृद्धि देखी गयी।

वित्त वर्षों 16 से 20 के मध्य सरकार के गैर कर राजस्व में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी, जबकि प्रतिभूतियों की स्विचिंग, तथा दूरसंचार अनुज्ञप्ति शुल्क (₹27,463 करोड़) में, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिशेष लाभों (₹79,988) में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 20 में बाज़ार ऋणों पर उच्च प्रीमियम (वित्त वर्ष 20 में ₹29,609 तथा वित्त वर्ष 19 में ₹2,961 करोड़) की प्राप्ति का पर्याप्त उछाल देखा गया।


#### 1.7.1.2 कर राजस्व के घटक

कर राजस्व के दो घटक हैं - प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। निगम कर, निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कराधान आदि प्रत्यक्ष कर का अंश है तथा वस्तु एवं सेवाकर (जी एस टी), सीमा एवं उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर का अंश हैं। आकृति 1.7 प्रत्यक्ष एवं

अप्रत्यक्ष कर राजस्व के घटकों को उनके समग्र रूप में के साथ-साथ वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है।

आकृति 1.7: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे


वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में सकल कर राजस्व में नकारात्मक वृद्धि देखी गयी जो कंपनियों तथा निगमों के लिए कर दरों में कमी के कारण निगम कर में पर्याप्त नकारात्मक वृद्धि से प्रेरित थी।

### प्रमुख संघीय करों में उछाल

उछाल गुणांक सकल घरलू उत्पाद<sup>9</sup> में एक प्रतिशत की वृद्धि के उपरांत राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। एक से अधिक की उछाल वांछनीय मानी जाती है। यदि उछाल एक से अधिक है तो इससे कर-जीडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। एक से कम का उछाल यह इंगित करता है कि सम्बंधित कर प्रभावी तौर पर प्रतिगामी हो सकता है क्योंकि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वृद्धि का न्यून भाग कराच्छादित होता है। विगत दो वर्षों में प्रमुख कर राजस्व घटकों में कर उछाल आकृति 1.8 में दर्शाया गया है।

<sup>9</sup> जीडीपी के आंकड़े सीएसओ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29 मई 2020 के अनुसार हैं (अनंतिम अनुमान)।

आकृति 1.8: कर उछाल



स्रोत: वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे, एवं सीएसओ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29 मई 2020

अतः यह स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 20 में कर राजस्व के सभी प्रमुख घटकों की कर उछाल एक से कम थी। आयकर तथा वस्तु एवं सेवा कर के प्रकरण में यह वित्त वर्ष 19 की तुलना में काफी कम थी।

### 1.7.2 उपकर का संग्रहण

उपकर एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त कर है। उपकर संग्रह प्रारंभ में सी एफ आई में जमा किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर में कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेशकर, चुंगी आदि तथा उपकर जैसे कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, चाय, चीनी एवं जूट आदि पर उपकर सम्मिलित हैं।

संघ सरकार ने हाल के वर्षों में नये उपकरणों यथा प्रत्यक्ष कर पर प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर के स्थान पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, तथा वित्त वर्ष 18 से प्रभावी सीमाशुल्क पर शिक्षा उपकर के स्थान पर सामाजिक कल्याण उपकर आरोपित करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न उपकरणों को समाप्त कर दिया है।


पुनः आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शिक्षा उपकर, आयातित वस्तुओं पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर, कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर, मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर), हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर), मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क एवं अवसंरचना उपकर, तम्बाकू

एवं तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क एवं कच्चे पेट्रोलियम, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी तथा सामाजिक कल्याण अधिभार आदि को लगाया जाना जारी है।

वित्त वर्ष 20 में विभिन्न उपकारों का कुल संग्रहण<sup>10</sup> ₹1,98,402 था (वित्त वर्ष 19 की तुलना में 5.60 प्रतिशत की वृद्धि) एवं उनकी वृद्धि दर आकृति 1.9 में दर्शायी गयी है।

आकृति 1.9: उपकारों का संग्रहण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

सड़क उपकर में वृद्धि, सड़क मार्ग एवं आधारभूत संरचना उपकर की दर में वृद्धि के कारण हुई थी, जबकि यूएसओ लेवी में वृद्धि 'अन्य संचार सेवाओं' के अंतर्गत अधिक संग्रह को दर्शाती है। मुख्यतः 'निर्यात पर उपकर' (₹5,759 करोड़) के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण 'अन्य' में 179 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुनः सामाजिक कल्याण अधिभार, कच्चे तेल पर उपकर एवं स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर के अंतर्गत नकारात्मक वृद्धि, अंतर्निहित मूल करों में कम वृद्धि को परिलक्षित करती है।

### 1.7.3 गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, संप्रभुता सम्पन्न कार्यों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा तथा सिक्के एवं संपत्ति/निवेश या लाभांश या रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों द्वारा

<sup>10</sup> स्वदेशी मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क एवं अवसंरचना उपकर, अवसंरचना उपकर, हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं तेल पर उपकर। 'अन्य' में निर्यात पर उपकर, कोक एवं कोयले पर उपकर, जूट पर उपकर, चाय पर उपकर, बीड़ी पर उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण उपकर, अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्राप्तियाँ, चीनी पर उपकर, आदि।

एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क से उत्पन्न होने वाली आय सम्मिलित हैं। गैर-कर राजस्व की संरचना तालिका 1.5 में दी गयी है।

तालिका 1.5: गैर-कर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल गैर राजस्व#	व्याज प्राप्तियां	लाभांश एवं लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवायें	संप्रभु एवं अन्य कार्य**
वित्त वर्ष 16	4,86,462	46,325	1,12,136	10,100	2,79,710	38,191
वित्त वर्ष 17	5,08,020	43,496	1,23,021	11,998	2,86,597	42,908
वित्त वर्ष 18	4,44,965	45,732	91,367	3,081	2,58,592	46,193
वित्त वर्ष 19	4,87,451	27,166	1,13,427	3,167	2,94,445	49,246
वित्त वर्ष 20	5,88,701	56,964	1,86,142	3,507	2,94,717	47,371
वृद्धि की वार्षिक दर						
वित्त वर्ष 16	15.39	(-)3.50	24.79	482.13	14.86	(-)0.72
वित्त वर्ष 17	4.43	(-)6.11	9.71	18.79	2.46	12.35
वित्त वर्ष 18	(-)12.41	5.14	(-)25.73	(-)74.32	(-)9.77	7.66
वित्त वर्ष 19	9.55	(-)40.60	24.14	2.79	13.86	6.61
वित्त वर्ष 20	20.77	109.69	64.11	10.74	0.09	(-)3.81

# वाह्य स्रोतों से सहायता एवं अनुदान में योगदान

\*\* वित्तीय एवं सामान्य सेवाएँ

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

वित्त वर्ष 20 में, गैर कर राजस्व प्राप्ति का सर्वाधिक भाग (50 प्रतिशत) आर्थिक सेवाओं से आया। ब्याज प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का 9.67 प्रतिशत थी, जबकि लाभांश तथा लाभ 31.62 प्रतिशत थे। वित्त वर्ष 19 की तुलना में, वित्त वर्ष 20 में सकल गैर-कर राजस्व में एक लाख करोड़ से अधिक की पर्याप्त वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तिओं, और लाभांश और लाभ में वृद्धि से प्रेरित थी।

बाजार ऋण (₹26,648 करोड़) पर प्रीमियम की अधिक प्राप्तिओं के कारण विगत वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्तिओं में 109.69 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 20 के दौरान लाभांश एवं लाभ में भी 64.11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई क्योंकि 'भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष लाभ के भाग' में ₹79,988 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां, जो गैर-कर राजस्व का आधा भाग थीं, में निम्नलिखित प्रमुख घटक थे जैसा कि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: आर्थिक सेवाओं के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	भारतीय रेल- वाणिज्यिक लाइन्स	डाक प्राप्तियां	अन्य संचार सेवाएं	अन्य	कुल आर्थिक सेवाएं
वित्त वर्ष 16	1,63,497	12,940	56,477	46,796	2,79,710
वित्त वर्ष 17	1,61,583	11,511	70,241	43,262	2,86,597
वित्त वर्ष 18	1,76,779	12,833	32,066	36,914	2,58,592
वित्त वर्ष 19	1,87,738	13,196	40,816	52,695	2,94,445
वित्त वर्ष 20	1,72,021	13,558	69,846	39,292	2,94,717

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

यद्यपि वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं की प्राप्तियों में ₹272 करोड़ (0.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथापि वे कुल गैर-कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में 10.34 प्रतिशत घट गयी। इस गिरावट का प्रमुख कारण भारतीय रेल की वाणिज्यिक लाइनों से माल आय पर कम (₹14,993 करोड़ से कम) प्राप्ति थी।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 19 के दौरान 112 संस्थाओं से प्राप्त ₹1,13,427 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 20 के दौरान संघ सरकार को 103 संस्थाओं से ₹1,49,554 करोड़ के निवेश के साथ ₹1,86,142 करोड़ का लाभांश/अधिशेष<sup>11</sup> प्राप्त हुआ।

प्राप्त राशि में से, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अधिशेष का भाग (₹1,47,988 करोड़) अकेले इस शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का लगभग 80 प्रतिशत था। इस सन्दर्भ में अन्य प्रमुख संस्थायें कोल इंडिया लिमिटेड (₹4,891 करोड़, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (₹4,394 करोड़), भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (₹2,821 करोड़, जीवन बीमा निगम (₹2611 करोड़), भारतीय तेल निगम लिमिटेड (₹2,545 करोड़) तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (₹2,325 करोड़) थी।

<sup>11</sup> विगत वर्ष की तुलना में, आठ संस्थाओं के लाभांश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि 56 संस्थाओं ने ₹85,101 करोड़ के उच्च लाभांश की घोषणा की, 06 संस्थाओं ने ₹1,579 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा 33 संस्थाओं ने विगत वर्ष की तुलना में कम लाभांश घोषित किया।



तालिका 1.7: लाभांश तथा लाभ के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का भाग	सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का भाग	अन्य से लाभांश	कुल लाभांश एवं लाभ
वित्त वर्ष 16	65,896	39,897	4,214	2,129	1,12,136
वित्त वर्ष 17	65,876	53,195	1,445	2,505	1,23,021
वित्त वर्ष 18	40,659	46,495	1,826	2,386	91,366
वित्त वर्ष 19	68,000	43,049	108	2,270	1,13,427
वित्त वर्ष 20	1,47,988	35,509	0	2,645	1,86,142

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश का हिस्सा वित्त वर्ष 19 में ₹43,049 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 8.83 प्रतिशत) से घटकर वित्त वर्ष 20 में ₹35,509 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 6.03 प्रतिशत) हो गया, जिसका मुख्य कारण भारतीय तेल निगम (₹2,838 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (₹1,896 करोड़), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (₹1,356 करोड़), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (₹1,283 करोड़) तथा कोल इंडिया लिमिटेड (₹949 करोड़) से कम लाभांश था। साथ ही, लगातार गिरावट की अवधि के पश्चात् वित्त वर्ष 20 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ का हिस्सा शून्य हो गया।

#### 1.7.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियां (विनिवेश) तथा ऋण प्राप्तियां (आंतरिक एवं बाह्य) सम्मिलित हैं। ऋण प्राप्तियों की चर्चा अनुच्छेद 1.5 में की जा चुकी है।

गैर-ऋण प्राप्तियां मुख्य रूप से चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी पूंजी में संघ सरकार के आंशिक विनिवेश के कारण हैं। विनिवेश से आय गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का एक बड़ा भाग है। संघीय वित्त लेखे का विवरण 8 विनिवेश से प्राप्त कुल आय को दर्शाता है जबकि विवरण 11 इकाईवार स्थिति को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 19 में ₹72,620 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 20 के दौरान सरकार को विनिवेश<sup>12</sup> से ₹48,234 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (₹7,500 करोड़) एवं नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹4,000 करोड़) का राष्ट्रीय ताप विद्युत कारपोरेशन (एनटीपीसी), एवं कामराजर पोर्ट लिमिटेड (₹2,383 करोड़) से चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का रणनीतिक विनिवेश समाहित है।

<sup>12</sup> अंकित मूल्य (18.68 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹9,009 करोड़ और प्रीमियम के विरुद्ध ₹39,225 करोड़ (81.32 प्रतिशत)।

इसके अतिरिक्त, प्राप्तियां रेल विकास निगम लिमिटेड एवं आईआरसीटीसी लिमिटेड (₹1,114 करोड़) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों; राइट्स लिमिटेड (₹1,130 करोड़) की बिक्री के लिए प्रस्ताव; एमओआईएल लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (₹821 करोड़) द्वारा शेयरों की वापस खरीद; एवं एक्सचेंज ट्रेड फंड के माध्यम से आगे के फंड ऑफर - सीपीएसई ईटीएफ (₹26,500 करोड़) व भारत -22 ईटीएफ (₹4,369 करोड़) से प्राप्त हुई। ईटीएफ के माध्यम से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (₹6,165 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹5,673 करोड़), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (₹5,719 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹3,850 करोड़), आदि की हिस्सेदारी की बिक्री थी।

### 1.8 व्यय विश्लेषण

वित्त वर्ष 20 में भारत की समेकित निधि तथा लोक खाते से कुल संवितरण ₹1,14,59,551 करोड़ था।

वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में कुल संवितरण में 9.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹1,14,59,551 करोड़ के कुल संवितरण में से सी एफ आई से संवितरण 81.80 प्रतिशत था (सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 55.20 प्रतिशत था तथा सी एफ आई से कुल व्यय 26.60 प्रतिशत था)। संवितरण का शेष 18.20 प्रतिशत लोक खाते से था जैसा कि तालिका 1.8 में वर्णित है।

तालिका 1.8: कुल संवितरण के विभिन्न घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 16	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19	वित्त वर्ष 20
<b>संघ सरकार के कुल वितरण के घटक</b>					
सी एफ आई से संवितरण	58,43,324 (83.87)	79,21,324 (87.01)	84,19,941 (85.44)	87,80,706 (84.15)	93,74,754 (81.81)
लोक लेखों से संवितरण	11,23,658 (16.13)	11,82,568 (12.99)	14,34,375 (14.56)	16,53,371 (15.85)	20,84,797 (18.19)
<b>सी एफ आई से संवितरण के कुल घटक</b>					
लोक ऋणों के पुनर्भुगतान	37,37,657 (63.96)	56,78,823 (71.69)	58,72,604 (69.75)	60,64,945 (69.07)	63,26,549 (67.48)
राजस्व व्यय (आर ई)	17,79,529 (30.45)	19,33,018 (24.40)	21,40,085 (25.42)	22,61,571 (25.76)	26,15,320 (27.90)
पूँजीगत व्यय (सीई)	2,78,866 (4.77)	2,49,472 (3.15)	3,25,116 (3.86)	3,99,523 (4.55)	3,87,744 (4.14)
ऋण एवं अग्रिम (एलए)	47,272 (0.81)	60,011 (0.76)	82,136 (0.98)	54,667 (0.62)	45,141 (0.48)

कोष्ठक में दी गयी राशि कुल संवितरण का प्रतिशत दर्शाती है।

स्रोत: वित्त वर्ष 16 से 20 का संघीय वित्त लेखे

विगत तीन वर्षों में, कुल संवितरण के अनुपात के रूप में, लोक खाते से संवितरण के लिए एक सहवर्ती बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, सी एफ आई से संवितरण का भाग कुछ कम होने की प्रवृत्ति पर था। विगत तीन वर्षों में सी एफ आई संवितरण के सन्दर्भ में, लोक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम के पुनर्भुगतान दोनों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति थी, जबकि राजस्व व्यय का हिस्सा बढ़ रहा था।

### 1.8.1 क्षेत्रीय व्यय

संघ सरकार के लेखाओं में, व्यय को विभिन्न मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है जिन्हें बदले में चार क्षेत्रों नामतः 'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें' तथा 'सहायता अनुदान एवं योगदान' में वर्गीकृत किया जाता है।

**तालिका 1.9** क्षेत्रीय व्यय (राजस्व व पूंजीगत व्यय दोनों) का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.9: संघ सरकार के क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें
वित्त वर्ष 16	8,96,486 (50.56)	1,00,682 (5.68)	7,75,879 (43.76)
वित्त वर्ष 17	10,25,561 (53.07)	1,16,023 (6.01)	7,90,729 (40.92)
वित्त वर्ष 18	11,16,653 (53.59)	1,11,108 (5.33)	8,55,914 (41.08)
वित्त वर्ष 19	12,15,111 (53.33)	1,17,237 (5.15)	9,46,034 (41.52)
वित्त वर्ष 20	13,37,499 (54.10)	1,45,668 (5.89)	9,89,165 (40.01)

नोट: क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं सहायता अनुदान के कारण राजस्व व्यय जो किसी विशिष्ट समूह के अंतर्गत नहीं आता है सम्मिलित नहीं हैं।

कोष्ठक में दी गयी संख्याएं कुल व्यय का अनुपात दर्शाती हैं।

स्रोत: वित्त वर्ष 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

जैसाकि तालिका 1.9 से देखा गया है, विगत पांच वर्षों में क्षेत्रीय हिस्सेदारी स्थिर रही है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 20 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के व्यय में 24.25 प्रतिशत की उच्चतम वार्षिक वृद्धि देखी गई, जो राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण ₹8,985 करोड़ की राहत जारी करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य (₹6,519 करोड़) एवं माध्यमिक व उच्च शिक्षा (₹6,161 करोड़) पर बढ़े हुए व्यय के कारण थी। 10 प्रतिशत की दूसरी उच्चतम वृद्धि सामान्य क्षेत्र पर व्यय में देखी गई, जो कि ब्याज भुगतान पर ₹54,350 करोड़, रक्षा सेवाओं पर ₹15,862 करोड़ के पूंजीगत व्यय तथा 'ऋण में कमी या परिहार के लिए

विनियोग' - बाजार ऋणों की स्विचिंग पर प्रीमियम के अतिरिक्त भुगतान पर ₹5,469 करोड़ के व्यय में वृद्धि के कारण थी।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक क्षेत्र पर व्यय में वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में ₹43,131 करोड़ की वृद्धि देखी गई (4.56 प्रतिशत की वृद्धि, तीनों क्षेत्रों में सबसे कम)। यह मुख्य रूप से 'फसल पालन' (मुख्य रूप से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत) तथा 'खाद्य, भंडारण एवं भंडारण' (खाद्य सब्सिडी) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

### 1.8.2 राजस्व व्यय में रुझान

सरकारी विभागों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए, विभिन्न सेवाओं के लिए, अपने लिए गए ऋण पर व्याज भुगतान के लिए, पेंशन, सब्सिडी आदि पर सरकार राजस्व व्यय करती है। राजस्व व्यय एक ऐसा व्यय है जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। संघ सरकार के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं। राजस्व मदों में से ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय का गठन करते हैं।

तालिका 1.10: राजस्व व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन <sup>#</sup>	व्याज भुगतान	पेंशन*	राज्यों को अनुदान	अन्य <sup>##</sup>
वित्त वर्ष 16	17,79,529	1,44,552	4,57,270	1,11,285	3,06,129	7,60,293
वित्त वर्ष 17	19,33,018	1,77,153	5,04,512	1,49,237	2,80,836	8,21,280
वित्त वर्ष 18	21,40,085	1,93,503	5,43,707	1,63,196	3,72,742	8,66,937
वित्त वर्ष 19	22,61,571	2,18,022	5,95,552	1,76,910	3,68,172	9,02,915
वित्त वर्ष 20	26,15,320	2,27,627 (8.70)	6,55,371 (25.06)	2,03,877 (7.80)	4,94,975 (18.92)	10,33,470 (39.52)
<b>औसत वार्षिक वृद्धि दर</b>						
वित्त वर्ष 16	4.98	7.89	7.57	3.13	(-)7.16	8.86
वित्त वर्ष 17	8.63	22.55	10.33	34.10	(-)8.26	8.02
वित्त वर्ष 18	10.71	9.23	7.77	9.35	32.73	5.56
वित्त वर्ष 19	5.68	12.67	9.54	8.40	(-)1.23	4.15
वित्त वर्ष 20	15.64	4.41	10.04	15.24	34.44	14.46

स्रोत: व्यय प्रोफाइल \*एम.एच.-2071 के अंतर्गत केवल सिविल व रक्षा पेंशन सम्मिलित हैं, ## अन्य में रक्षा एवं रेलवे पर व्यय सम्मिलित हैं।

कोष्ठक में आंकड़े राजस्व व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

तालिका 1.10 दर्शाती है कि ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का सबसे बड़ा एकल घटक था जो कुल का एक- चौथाई था। पुनः वित्त वर्ष 20 में राजस्व व्यय के प्रत्येक घटक में वर्ष-दर-वर्ष दो अंकों की वृद्धि हुई थी। जी एस टी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति पर ₹51,223 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि जारी करने, पिछले बैकलाग को समाप्त करने हेतु जी एस टी अनुदान कोष में अतिरिक्त राशि का हस्तांतरण तथा 31 अक्टूबर 2019 से नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख) को अतिरिक्त अनुदान देने के कारण से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान में उच्चतम वृद्धि दर थी।

### 1.8.2.1 ब्याज भुगतान

यह शीर्ष लोक ऋण (आंतरिक व बाह्य दोनों) एवं सरकार की अन्य ब्याज वहन देनदारियों जिसमें बीमा एवं पेंशन फंड, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा एवं विभिन्न कंपनियों तथा निगमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज सम्मिलित है पर ब्याज के लिए भुगतान प्रदान करता है। इसमें ऋण पर कमी या परिहार पर व्यय भी सम्मिलित है। राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान लगभग 25 प्रतिशत था, तथा राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में यह लगभग 32 प्रतिशत था।

तालिका 1.11: राजस्व व्यय पर ब्याज भुगतान

वर्ष	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	राजस्व व्यय (आर ई)	आईपी की वृद्धि	आईपी से आरआर का हिस्सा	आईपी से आर ई का हिस्सा
(₹ करोड़ में)			(प्रतिशत में)			
वित्त वर्ष 16	4,57,270	14,36,160	17,79,529	7.57	31.84	25.70
वित्त वर्ष 17	5,04,512	16,15,988	19,33,018	10.33	31.22	26.10
वित्त वर्ष 18	5,43,707	16,91,143	21,40,085	7.77	32.15	25.41
वित्त वर्ष 19	5,95,552	18,06,463	22,61,571	9.54	32.97	26.33
वित्त वर्ष 20	6,55,371	19,48,084	26,15,320	10.04	33.64	25.05

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

वित्त वर्ष 20 के दौरान ब्याज भुगतान में अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹5,78,186 करोड़, 88 प्रतिशत), लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि पर ब्याज (₹43,709 करोड़) एवं बाह्य ऋण पर ब्याज भुगतान (₹9,420 करोड़) सम्मिलित थे।

### 1.8.2.2 पेंशन भुगतान

तालिका 1.12 दर्शाती है कि वित्त वर्ष 20 में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 12.49 प्रतिशत बढ़कर ₹2,42,561 करोड़ हो गया।

तालिका 1.12: पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रक्षा	सिविल	रेलवे	डाक	कुल
वित्त वर्ष 16	60,238 (45.33)	36,533 (27.49)	30,701 (23.10)	5,408 (4.07)	1,32,880
वित्त वर्ष 17	87,826 (48.95)	43,575 (24.29)	40,463 (22.55)	7,547 (4.21)	1,79,411
वित्त वर्ष 18	92,000 (46.11)	53,745 (26.94)	45,275 (22.69)	8,511 (4.27)	1,99,531
वित्त वर्ष 19	1,01,775 (47.20)	58,437 (27.10)	46,718 (21.66)	8,706 (4.04)	2,15,636
वित्त वर्ष 20	1,17,810 (48.57)	66,144 (27.27)	49,188 (20.28)	9,419 (3.88)	2,42,561
वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
वित्त वर्ष 16	-0.35	10.17	7.19	7.43	4.39
वित्त वर्ष 17	45.80	19.28	31.80	39.55	35.02
वित्त वर्ष 18	4.75	23.34	11.89	12.77	11.21
वित्त वर्ष 19	10.63	8.73	3.19	2.29	8.07
वित्त वर्ष 20	15.76	13.19	5.29	8.19	12.49

स्रोत: सिविल व रक्षा पेंशन के लिए आंकड़े वित्त लेखों (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं, रेलवे एवं डाक के लिए आंकड़े उनके विनियोग लेखों से हैं।

कोष्ठक के आंकड़े पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों पर कुल व्यय का अनुपात दर्शाते हैं।

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

इस प्रकार, रक्षा पेंशन एवं नागरिक पेंशन की हिस्सेदारी में विगत तीन वर्षों में रेलवे तथा डाक दोनों में इसी कमी के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। वित्त वर्ष 20 में, वित्त वर्ष 20 में रक्षा पेंशन भुगतान में वार्षिक वृद्धि, जो कुल पेंशन भुगतान के आधे से थोड़ा कम थी, 15.76 प्रतिशत के साथ उच्चतम थी।

इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय की बही में पेंशन के लेनदेनों की गैर-मंजूरी के कारण वित्त वर्ष 20 के अंत में पीएसबी सस्पेंस डिफेंस के खाते में ₹17,913 करोड़ का क्लोजिंग नेकस्ट सस्पेंस बैलेंस था। इस राशि को शामिल करने से रक्षा पेंशन के तहत व्यय में वृद्धि हो जाएगी।

### 1.8.2.3 सब्सिडी

सब्सिडी न केवल स्पष्ट रूप से अर्थात् बजट के माध्यम से, बल्कि लोगों को सब्सिडी वाले सामान एवं सेवाएं प्रदान करके भी वितरित की जाती है, जिसे निहित सब्सिडी कहा जाता है।

तालिका 1.13 बजट के माध्यम से सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.13: संघ सरकार के बजट में स्पष्ट सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक* (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम सब्सिडी	अन्य**	कुल सब्सिडी	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी
वित्त वर्ष 16	1,39,419 (18.48)	50,478 (0.11)	21,938 (6.15)	29,999 (-50.22)	16,637 (79.49)	2,58,471 (0.07)	14.52
वित्त वर्ष 17	1,10,173 (-20.98)	51,257 (1.54)	15,056* (-31.37)	27,539 (-8.20)	28,777 (72.98)	2,32,802 (-9.93)	12.04
वित्त वर्ष 18	1,00,282 (-8.98)	64,756 (26.34)	22,244 (47.74)	24,460 (-11.18)	34,334 (19.31)	2,46,076 (5.70)	11.50
वित्त वर्ष 19	1,01,327 (1.04)	46,514 (-28.17)	24,090 (8.30)	24,837 (1.54)	28,210 (-17.84)	2,24,978 (-8.57)	9.95
वित्त वर्ष 20	1,08,688 (7.26)	54,755 (17.72)	26,369 (9.46)	38,529 (55.13)	33,963 (20.39)	2,62,304 (16.59)	10.03

कोष्ठक के आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हैं।

\*स्वदेशी व आयतित उर्वरक (यूरिया) पर प्रदान की गई सब्सिडी को दर्शाते हैं।

#विनियंत्रित उर्वरक पर दिए गए सब्सिडी को दर्शाते हैं। 2011-12 से यह पोषण आधारित सब्सिडी है।

\*\*अन्य में ब्याज सब्सिडी, उपभोक्ता मामलों के विभाग में मूल्य स्थिरीकरण कोष, खाद्यान्न की आवाजाही एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के मार्जिन आदि सम्मिलित हैं। इस मद के अंतर्गत अधिकांश व्यय खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम सब्सिडी हैं जो प्रमुख सब्सिडी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

इस मद के अंतर्गत अधिकांश व्यय खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम सब्सिडी की ओर था जो प्रमुख सब्सिडी की श्रेणी में हैं। वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में विभिन्न स्पष्ट सब्सिडी पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे सब्सिडी पर कुल व्यय में 16.59 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसी आई) को सब्सिडी भुगतान का राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण द्वारा प्रतिस्थापन

करने के कारण पूर्व वर्षों की तरह खाद्य सब्सिडी पर व्यय कम बताया गया<sup>13</sup>, जिससे संघ सरकार के लिए भविष्य की देनदारियां बनी हुयी हैं। पुनः, पूर्व वर्षों में नकारात्मक या न्यूनतम वृद्धि दृष्टिगत होने के पश्चात् एलपीजी सब्सिडी (₹13,692 करोड़) में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 20 में पेट्रोलियम सब्सिडी में 55.13 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। पेट्रोलियम एवं उर्वरक सब्सिडी के अंतर्गत लेखों में दर्ज किये गए व्यय को भी मंत्रालयों द्वारा रोके गए सब्सिडी दावों के भुगतान की सीमा तक कम बताया गया।

कुल मिलाकर, वित्त वर्षों 16 से 19 के दौरान राजस्व व्यय में सब्सिडी पर होने वाले व्यय के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी दी। यद्यपि, वित्त वर्ष 20 के दौरान, उर्वरक सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी एवं “अन्य श्रेणी” के अंतर्गत सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी की भागीदारी वित्त वर्ष 19 में 9.95 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 10.03 प्रतिशत हो गयी।

### 1.9 लोक लेखे देनदारियां

संघ सरकार की लोक लेखे देनदारियां एक उधारकर्ता के बजाय एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में उत्पन्न होती हैं। इनमें लघु बचत (भविष्य निधि, बीमा निधि) आरक्षित निधि एवं जमा सम्मिलित हैं। इन देनदारियां को सी एफ आई द्वारा सुरक्षित नहीं किया जाता है तथा लोक लेखे के भाग के रूप में दिखायी जाती हैं। यद्यपि, ये सभी देनदारियां या तो उनके पुनर्भुगतान के सन्दर्भ में अथवा विनिर्दिष्ट व्यय करने के लिए सरकार की दायित्व हैं। इन लेनदेनों का सार यू जी एफ ए के विवरण 13 में दिया गया है।

31 मार्च 2020 तक, कुल बकाया लोक लेखे देनदारियां ₹8,79,325 करोड़ थीं, जिसमें लघुबचत एवं भविष्य निधि के ₹5,74,881 करोड़ तथा अन्य दायित्वों<sup>14</sup> पर ₹3,04,444 करोड़ सम्मिलित थे। **आकृति 1.10** संघ सरकार की कुल लोक लेखे देनदारियां प्रस्तुत करता है।


<sup>13</sup> भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के बदले एनएसएसएफ ऋण की स्वीकृति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा आरई स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण ‘एनएसएसए के अंतर्गत खाद्यान्न लेनदेनों पर एफसीआई एवं अन्य को देय सब्सिडी’ के अंतर्गत ₹ 76,000 करोड़ की बचत थी।

<sup>14</sup> लोक लेखे में समस्त आरक्षित निधियां एवं जमा



आकृति 1.10: लोक लेखे देनदारी (संघीय वित्त लेखे में रिपोर्ट की गयी)

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

वित्त वर्ष 2000 से, राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों एवं अन्य साधनों में निवेश की गयी सीमा के साथ-साथ राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) संचालन में हुयी हानियों के कारण लघु बचत तथा बीमा निधियों की देनदारियों को लोक लेखे देनदारियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, लोक लेखा की देनदारियों में, ₹9,99,409 करोड़ की देनदारियाँ, जिनमें राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों (₹4,40,438 करोड़) एवं सरकारी उपक्रमों (₹3,66,546 करोड़) में एनएसएसएफ का निवेश, डाकघर बीमा कोष<sup>15</sup> से सम्बंधित ₹82,963 करोड़ का निवेश तथा एनएसएसएफ में संचयी घाटा (₹1,09,462 करोड़), सम्मिलित नहीं हैं।

### 1.9.1 आरक्षित निधि एवं जमा राशि

संघ सरकार के लोक लेखे में आरक्षित निधि एवं जमा राशि को ब्याज-सहित एवं ब्याज-रहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोक लेखे में 58 आरक्षित निधियों में से 21 ब्याज-सहित एवं 37 ब्याज-रहित हैं। वर्ष के दौरान ब्याज वाली आरक्षित निधियों एवं जमा

<sup>15</sup> निधि से निवेशों से सम्बंधित डाकघर बीमा कोष से सम्बंधित लेनदेनों को मुख्य शीर्ष 8015 के अंतर्गत लोक लेखे में लेखांकित किया जाता है। पीएलआई निधि की राशि ₹60,106 करोड़ एवं आरपीएलआई निधि की राशि ₹22,857 करोड़ को निधि प्रबंधकों जैसे एसबीआई फण्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईएफएमपीएल), एवं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (यूटीआईएएमसीएल) के माध्यम से निवेश किया गया है। ₹82,963 करोड़ का यह निवेश संघीय वित्त लेखे के विवरण 13 में दर्शाये गए लोक लेखे देनदारियों के शेष में सम्मिलित नहीं है।

पर क्रमशः ₹2,192 करोड़ व ₹988 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान 58 आरक्षित निधियों में से 13 का संचालन नहीं किया गया। संघीय वित्त लेखे में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गए उपकरणों, लेवी एवं शुल्कों के संग्रहण तथा उपयोग के लेखांकन के लिए लघु शीर्ष स्तर पर मात्र सात आरक्षित निधियां निर्मित की गयीं। वित्त वर्ष 20 के दौरान एक निधि - राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष संचालित की गयी थी। वित्त वर्ष 20 के अंत में सात आरक्षित निधियों में प्रतिकूल शेष राशि थी, जिन्हें जांच के अंतर्गत बताया गया।

### **1.9.1.1 आरक्षित निधि में आगत व उससे निर्गत राशियों का विश्लेषण**

संविधान के अनुच्छेद 266 लोक लेखों को उन निधियों के रूप में परिभाषित करता है जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त की जाती हैं। सरकार द्वारा ट्रस्ट में रखा गया धन, जैसा कि भविष्य निधियां, लघु बचत संग्रहणों, विशिष्ट वस्तुओं जैसे सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा, आरक्षित/ विशेष कोष पर व्यय के लिए अलग रखी गयी सरकार की आय इत्यादि के प्रकरण में है, लोक लेखों में रखा जाता है। ये निधियां सरकार की नहीं होती हैं तथा इन्हें जमा करने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों को अंततः वापस देना पड़ता है। ऐसे भुगतानों के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि, जब संसद के अनुमोदन से समेकित निधि से धन निकाला जाता है तथा एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु व्यय के लिए लोक लेखे में रखा जाता है तब इसे संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

लोक लेखे के अंतर्गत सात आरक्षित निधियां<sup>16</sup> थी, जिनमें भारत सरकार ने आरक्षित निधियों के अंतरण एवं आरक्षित निधि से उपयोग की गई राशि के लिए बजट में प्रावधान किए थे। संघीय वित्त लेखे के विवरण 13 एवं बजट दस्तावेजों की जांच में ज्ञात हुआ कि बजटीय प्रावधानों के विरुद्ध छः आरक्षित निधियों<sup>17</sup> ₹54,723 करोड़ की राशि में कम अंतरित की गई थी।

<sup>16</sup> सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ), माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष, राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रीकरण, राष्ट्रीय निवेश निधि, निर्भया निधि, प्रारंभिक शिक्षा कोष, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशंस फंड

<sup>17</sup> निर्भया निधि के हस्तांतरण में कोई कमी नहीं।

आरक्षित निधियों से निधि के उपयोग के प्रकरण में, यह पाया गया कि बजटीय आंकड़ों के विरुद्ध सात आरक्षित निधियों में ₹57,219 करोड़ की राशि का कम उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष के संबंध में, बजट अनुमानों में ₹14,460 करोड़ की राशि आरक्षित निधियों से अंतरित एवं उपयोग की जानी थी, लेकिन लोक लेखे में ऐसी कोई निधि निर्मित नहीं की गयी थी। राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्दीकरण के प्रकरण में, बजट प्रावधानों के विरुद्ध आरक्षित निधि से मात्र 50 प्रतिशत निधियों को हस्तांतरित एवं उपयोग किया गया था। यद्यपि, यह पाया गया था कि निधि को राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्दीकरण से प्राप्त आय के साथ जमा किया जाना था तथापि वित्त वर्ष 20 के दौरान इस खाते पर कोई प्राप्ति नहीं होने के बावजूद निधि जमा की गयी थी। इसका विवरण अनुच्छेद 2.7.1 में दिया गया है।

### 1.10 लोक ऋण प्रबन्धन

संघीय वित्त लेखे का विवरण 14 आंतरिक एवं बाह्य ऋण की विस्तृत स्थिति बताता है जो साथ मिलकर संघ सरकार के लोक ऋण का गठन करते हैं तथा ये भारत की समेकित निधि से सुरक्षित होते हैं। आंतरिक ऋण में मुख्यतः बाजार ऋण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल तथा एनएसएसएफ, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी संघ सरकार की विशिष्ट प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों एवं बहुपक्षीय निकाय से प्राप्त ऋणों को दर्शाता है।

31 मार्च 2018 को संघ सरकार का कुल ऋण ₹66,51,365 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2019 को ₹73,44,902 करोड़ हो गया एवम् पुनः 31 मार्च 2020 को बढ़कर ₹83,19,740 करोड़ हो गया। यद्यपि, लोक ऋण विगत तीन वर्षों में सकल घरेलु उत्पाद के 39-41 प्रतिशत के अंदर ही रहा।

**तालिका 1.14** सम्बंधित वित्तीय वर्षों के अंत में आंतरिक ऋण के घटकों यथा बाजार ऋणों, ट्रेजरी बिलों, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति एवं अन्य बांड को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: आंतरिक ऋण की संरचना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	ट्रेजरी बिल	प्रतिभूतियां जारी			प्रतिपूर्ति एवं अन्य बांड	अन्य	कुल आंतरिक ऋण
			अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	डाक जीवन बीमा			
वित्त वर्ष 16	43,00,102 (81.06)	4,85,822 (9.16)	1,06,726 (2.01)	3,13,856 (5.92)	20,894 (0.39)	11,114 (0.21)	66,321 (1.25)	53,04,835 (100)
वित्त वर्ष 17	46,49,487 (80.98)	4,91,372 (8.56)	1,08,740 (1.89)	3,81,291 (6.64)	20,894 (0.36)	20,325 (0.36)	69,600 (1.21)	57,41,709 (100)
वित्त वर्ष 18	50,70,744 (79.21)	5,36,321 (8.38)	1,04,370 (1.63)	4,83,919 (7.56)	20,894 (0.33)	44,531 (0.70)	1,40,496 (2.19)	64,01,275 (100)
वित्त वर्ष 19	55,00,141 (77.74)	5,43,218 (7.68)	1,06,523 (1.51)	6,08,919 (8.61)	20,894 (0.30)	46,854 (0.66)	2,48,392 (3.51)	70,74,941 (100)
वित्त वर्ष 20	59,86,127 (74.64)	6,13,321 (7.65)	1,01,909 (1.27)	8,48,919 (10.58)	20,894 (0.26)	53,212 (0.66)	3,96,108 (4.94)	80,20,490 (100)

कोष्ठक में आंकड़े कुल आंतरिक ऋण का प्रतिशत दर्शाते हैं। अन्य के अंतर्गत विशेष प्रतिभूतियों के रुपान्तरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियां, स्वर्ण मुद्राकरण योजना, संप्रभु गोल्ड बांड, बैंको को जारी विशिष्ट प्रतिभूतियां आदि सम्मिलित हैं।


स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.14 से दृष्टिगत हुआ कि बाजार ऋण प्राथमिक घटक थे, जो वित्त वर्ष 20 में आंतरिक ऋण का 74.64 प्रतिशत थे। यद्यपि, इसका अनुपात वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 तक लगातार 81 से घटकर 75 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर एनएसएसएफ एवं अन्य दो घटक थे जिनमें आंतरिक ऋण के अनुपात के रूप में लगातार वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार के कुल आंतरिक ऋण में वित्त वर्ष 19 की तुलना में 13.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो विगत पांच वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष उच्चतम वृद्धि थी।

सात वर्षों के भीतर (31 दिसम्बर 2026 तक) विमोचन हेतु देय बाजार ऋण ₹23,54,267 करोड़ (लगभग बाजार ऋण का 37 प्रतिशत) थे, जैसा कि आकृति 1.11 में दर्शाया गया है।

आकृति 1.11: बाज़ार ऋणों का परिपक्वता प्रालेख

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्ष 2020 के लिए संघीय वित्त लेखे


नोट: दिखाए गए आंकड़े उपर दर्शाए गए कैलेंडर वर्ष के अंत तक परिपक्वता के लिए हैं।

वर्ष 2020 में, सबसे लंबी परिपक्वता अवधि के साथ अनुबंधित दिनांकित सुरक्षा प्रतिभूतियां 39 वर्ष की थीं।

इसके अतिरिक्त, आकृति 1.12 ऐतिहासिक विनिमय दरों एवं वर्तमान विनिमय दरों पर विगत पांच वर्षों हेतु संघ सरकार के बाह्य ऋण को प्रस्तुत करता है।

आकृति 1.12: बाह्य ऋण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्षों हेतु 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

आंतरिक ऋण की तरह, ऐतिहासिक दर एवं वर्तमान दर पर बाह्य ऋण की वृद्धि दर भी वित्त वर्ष 20 में उच्चतम थी। पुनः, 2016-20 के दौरान ऐतिहासिक दर पर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर लगभग 9-10 प्रतिशत के आस पास रही।

तालिका 1.15 विगत पांच वर्षों के लिए लोक ऋण प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.15: लोक ऋण की प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण का पुनर्भुगतान		बाह्य ऋण का पुनर्भुगतान		लोक ऋण का पुनर्भुगतान	लोकऋण की कुल प्राप्ति	कुल गैर-ऋण प्राप्ति
	मूल	व्याज	मूल	ब्याज	5 = 1+2+3+4	6	7
	1	2	3	4			
वित्त वर्ष 16	37,14,352	4,05,242	23,305	3,925	41,46,824	43,16,950	15,20,170
वित्त वर्ष 17	56,52,628	4,48,928	26,195	5,144	61,32,895	61,34,137	17,04,702
वित्त वर्ष 18	58,45,919	4,87,527	26,685	5,951	63,66,082	65,54,002	18,61,830
वित्त वर्ष 19	60,34,206	5,33,265	30,739	8,150	66,06,360	67,58,482	19,31,699
वित्त वर्ष 20	62,92,658	5,78,186	33,891	9,420	69,14,155	73,01,387	20,17,080

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

तालिका 1.15 से यह देखा गया कि वित्त वर्ष 20 में लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान गैर-ऋण प्राप्ति का 3.4 गुणा एवं राजस्व प्राप्ति का 3.54 गुणा था। पुनः, वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 के दौरान लोक ऋण का पुनर्भुगतान लोक ऋण की कुल प्राप्ति का 95 से लगभग 100 प्रतिशत तक था।

### 1.10.1 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्ति पर कुल व्यय की अधिकता है। यह सरकार की आवश्यक उधारी एवं उसकी बकाया ऋण में वृद्धि को भी दर्शाता है। यह साधारणतया सरकार की शुद्ध वृद्धिशील देनदारियों अथवा राजस्व एवं व्यय के मध्य बजटीय अंतर को पाटने के लिए किए गए अतिरिक्त उधार का प्रतिनिधित्व करता है। कमी की भरपाई या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक या बाह्य) से अथवा लोक खाते की अधिशेष निधि का उपयोग करके की जाती है जैसा कि तालिका 1.16 में वर्णित है, जो संघ सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोतों को दर्शाती है।

तालिका 1.16: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण (निवल)		बाह्य ऋण (निवल)		लोक लेखे (निवल)		कैश ड्रा डाउन		राजकोषीय घाटा*
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
वित्त वर्ष 16	5,66,544	96.76	12,748	2.18	-6,965	-1.19	13,170	2.25	5,85,497
वित्त वर्ष 17	4,37,317	81.32	17,997	3.35	91,381	16.99	-8,896	-1.65	5,37,799
वित्त वर्ष 18	6,59,566	96.22	21,832	3.18	18	0.00	4,091	0.60	6,85,507
वित्त वर्ष 19	6,73,666	85.92	19,871	2.53	91,846	11.71	-1,321	-0.16	7,84,062
वित्त वर्ष 20	9,45,549	91.70	29,290	2.84	51,317	4.98	4,970	0.48	10,31,126


\* कुछ व्ययों का निवलीकरण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर व्यय का वर्णन आदि के कारण ये आंकड़े इन वर्षों हेतु बजट एक दृष्टि में दिए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

इस प्रकार, राजकोषीय घाटा मुख्यतः शुद्ध आंतरिक ऋण द्वारा वित्त पोषित था। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली बाह्य ऋण की राशि में भी वित्त वर्षों 16 से 20 के दौरान लगातार वृद्धि देखी गयी। यद्यपि, वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में लोक लेखे से अधिशेष निधि का उपयोग 44.18 प्रतिशत कम हो गया।

यदि राजकोषीय घाटे का वृहद भाग पूंजीगत व्यय को बनाये रखने के लिए है निर्माण के लिए संस्थाओं को वित्तीय सामंजस्य प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय को बनाए रखने के लिए है या पूंजी निर्माण के लिए संस्थाओं को वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक निश्चित बिंदु तक वांछनीय माना जा सकता है। राजकोषीय घाटे के घटक आकृति 1.13 में दर्शाए गए हैं।

आकृति 1.13: राजकोषीय घाटे के घटक



स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

इस प्रकार, राजकोषीय घाटे का वृहद भाग राजस्व घाटे के वित्तपोषण की ओर था। ₹10,31,126 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, ₹6,67,237 करोड़ वित्त वर्ष 20 में वर्ष-दर-वर्ष 6.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राजस्व खाते पर था। वित्त वर्षों 16 से 20 के दौरान, वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में गिरावटों के साथ शुद्ध पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों की भागीदारी में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी।